


प्रारूप-2.1


भाग-1


परियोजना का नाम:- मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी०)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। - मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 किमी० लम्बाई में किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से मुनस्यारी विकास खण्ड के दूरस्थ गावों को मोटर मार्ग की सुविधा प्राप्त होगी।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। - 1:50000 का मानचित्र संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत। - ₹ 83.67 लाख।
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। - N/A
- ङ) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। - मार्ग के निर्माण के समय स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में समय-समय पर अन्य कार्यों एवं विकास के अवसर बढेंगे। मार्ग पूर्ण होने के उपरान्त ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कृषि से सम्बन्धित लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:
 - (i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही आरक्षित भूमि - 0.810 हे०
 - (ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही आरक्षित भूमि - 0.099 हे०
 - (iii) रोड निर्माण हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि - 0.810 हे०
 - (iv) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि - 2.610 हे०
 - (v) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि - 0.241 हे०
 - कुल योग (वन भूमि) - 4.570 हे०**
 - (i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही नाप भूमि - 4.770 हे०
 - कुल योग (नाप भूमि) - 4.770 हे०**
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
 - क) परिवारों की संख्या - नहीं।
 - ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - नहीं।
 - ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) - नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) - हों।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। -

दिनांक - / /2015
स्थान - डीडीहाट


उपखण्ड अधिकारी
लो०नि०वि० मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)


अधिसासी अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
डीडीहाट


वनीकरण

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

- (1) A proposal has been received by this office from PWD Didihat for diversion under FCA-1980) of 4.570 Ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Munsyari Milam Motor Road to Quireejimiya Sailpolo Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 30-12-2015
- (2) On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 4.570 ha.
- (3) The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes
- (4) Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No
- (5) xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Not Required

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

proposal is recommended for acceptance Hence the

(Signature)

Place:- Pithoragarh

Date... 30-12-2015

Name... (R. C Sharma)
Designation.....
Office Seal

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी०) उत्तराखण्ड/राज्य सरकार। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़। 4.570 हेक्टेयर।
- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र
- (ii) जिला
- (iii) जिला वन प्रभाग
- (iv) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
8. पूर्वक्षेपण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति -
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: -
- (i) वन का प्रकार - आरक्षित, वन पंचायत एवं राज्य भूमि।
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व -
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - संलग्न है।
- (iii) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - संलग्न है
10. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेपण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - भू-शरत की संभावना 1/6
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी - 1/1000
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेपण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : - संलग्न है
- (i) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : - लीगू वही
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेपण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि. मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - नहीं।
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं।
14. पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें - संलग्न है
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - हाँ। उपरिष्ठ व न्यूनतम है
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके - संलग्न है

- पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे : - **है**
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) - **नहीं।**
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही - **है**
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) - **है**
16. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। - **संलग्न है।**
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। - **संलग्न है।**
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। - **संलग्न है।**
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। - **हैं।**
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : - **संलग्न है।**
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। - **हैं।**
17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। - **हैं।**
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों - **संलग्न है।**

स्थान: डीडीहाट।

तारीख:

प्रस्ताव संस्तुति सहित
अनुसारित प्रस्तावक विभाग
राज्य सरकार द्वारा
लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया गया

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

प्रभागीय वन अधिकारी
बिथौरागढ़ वन प्रभाग
बिथौरागढ़

प्रारूप-4

भाग-3

19. या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक - हॉ।
द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण
टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख
संलग्न की जाय।
20. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक हॉ।
की सिफारिशों से सहमत हैं।
21. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए आख्या संलग्न है।
वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी०)

जनपद पिथौरागढ़ तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग की स्वीकृति शा०सं० 1730/111(2)/14-03(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 24.09.2014 द्वारा 10.00 किमी० +1सेतु हेतु लागत रू० 83.67 लाख की प्राप्त हुई है।


मार्ग का समरेखन चैनेज सं० 0.000 से 0.900 किमी० तक आरक्षित भूमि, 0.900 से 1.200 किमी० तक राज्य भूमि, 1.200 से 4.400 किमी० तक नाप भूमि, 4.400 से 4.700 किमी० तक राज्य भूमि, 4.700 से 5.500 किमी० तक नाप भूमि, 5.500 से 6.100 किमी० तक राज्य भूमि, 6.100 से 7.000 किमी० तक वन पंचायत भूमि, 7.000 से 8.700 किमी० तक राज्य भूमि एवं 8.700 से 10.000 किमी० तक नाप भूमि। सम्पूर्ण भूमि का कुल क्षेत्रफल 4.500 हे० है। प्रस्तावित मार्ग का भूगर्भीय निरीक्षण भी कर लिया गया है तथा दिनांक 08/06/2015 एवं 10/06/2015 को याचक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।


मार्ग निर्माण हेतु 10.00 किमी० लम्बाई एवं 9.00 मी० चौड़ाई हेतु भूमि मांगी जा रही है। मोटर मार्ग निर्माण तथा मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही भूमि का विवरण निम्नवत् है।

(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही आरक्षित भूमि	- 0.810 हे०
(ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही आरक्षित भूमि	- 0.099 हे०
(iii) रोड निर्माण हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि	- 0.810 हे०
(iv) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि	- 2.610 हे०
(vi) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि	- 0.241 हे०
कुल योग (वन भूमि)	- 4.570 हे०
(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही नाप भूमि	- 4.770 हे०
कुल योग (नाप भूमि)	- 4.770 हे०


अतः दूरदराज के लोगों को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए परियोजना हेतु 4.570 हे० वनभूमि जनहित में लो०नि०वि० डीडीहाट को हस्तान्तरण होना आवश्यक है।



उप जिला मजिस्ट्रेट
मुनस्यारी



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
डीडीहाट


सहायक अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
डीडीहाट


अधिसूची अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
डीडीहाट


(अधीनस्थ)
वकील


उप जिला मजिस्ट्रेट
मुनस्यारी, पिथौरागढ़


राजस्व अधिकारी
केंद्र
मुनस्यारी
24/9/2015


तहसीलदार
मुनस्यारी